कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

—:: आदेश ::—

क्रमांक— 512/दो—12—48/2007 बिलासपुर, दिनांक 10 **नवम्बर, 2023**

कार्यालयीन विविध आदेश क्रमांक क/दो—12—48/2007 बिलासपुर दिनांक 14 जून, 2023 द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक 1131/दो—12—48/07, बिलासपुर दिनांक 31—03—2023 के अंतर्गत आकस्मिकता निधि के (कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले) कर्मचारी **वाटरमैन** के पद पर तालिका में दर्शित निम्नांकित अभ्यर्थी को कलेक्टर द्वारा समय—समय पर निर्धारित वेतन दर पर उसके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ क्रमांक—4 में दर्शित पद पर पूर्णतः अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है :—

क0	**अभ्यर्थी का नाम व पता**	**वर्ग**	**पद का नाम**
1	**2**	**3**	**4**
1	राजमति पिता सरजू राम, पता ग्राम—मेढ़पार बाजार, पोस्ट सागर, विकासखण्ड—तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0) 495220	अनारक्षित (दिव्यांग)	वाटरमैन

—:: नियुक्ति की शर्ते ::—

1. नियुक्त अभ्यर्थी आवश्यक रूप से शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्व—प्रमाणित प्रति तथा अवलोकनार्थ मूल प्रति कार्यभार ग्रहण करते समय लेकर आयेंगे। दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् भी उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

2. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला चिकित्सालय के जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शासकीय सेवा हेतु फीट (योग्य) है। यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उनकी नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

3. नियुक्ति के समय पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्तिकर तीन प्रतियों में शपथपत्र सहित पेश किया जायेगा। यदि चरित्र सत्यापन में सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

4. अभ्यर्थी की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी है। भविष्य में कार्य अथवा आचरण के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर बिना कोई कारण बताये तत्काल सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

5. अभ्यर्थी यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो 01 माह पूर्व सूचना देनी होगी या यदि तुरंत कार्यमुक्त होना चाहते है तो 01 माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो 01 माह पूर्व सूचना दी जावेगी या ऐसी सूचना के बदले 01 माह का वेतन देकर तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।

6. नियुक्त अभ्यर्थी की पदस्थापना इस सिविल जिला के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालय में की जा सकती है।

7. नियुक्त अभ्यर्थी को दिनांक 28—11—2023 तक नियुक्त किये गये पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

Sd/—
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

पृष्ठांकन कमांक–1277/दो–12–48/2007 बिलासपुर, दिनांक 10 **नवम्बर, 2023**

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक–1931/तीन–18–29/2008, बिलासपुर, दिनांक 12–03–2013 के अनुकम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. राजमति पिता सरजू राम, पता ग्राम–मेढ़पार बाजार, पोस्ट सागर, विकासखण्ड–तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0), पिन–495220
3. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर
4. लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. सहायक प्रोग्रामर, बिलासपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की आदेश की प्रतिलिपि जिला न्यायालय, बिलासपुर की बेवसाईट में अपलोड करे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)